

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक ४८२३-व-३-२०२३ / ६ ५ ५ ३ चण्डीगढ दिनांक २८/१ / १२८ र

विषय:-

Diversion of 0.0544 ha. of Forest land for access to retail outlet of BPCL at village Kawartan on Kaithal to Kawartan Road at RD km. 10.930 RHS the & District Kaithal bearing khasra no. 104//12, 11/2/2 under forest Division & Disst Kaithal, Haryana.

(Online Proposal No.FP/HR/Approach/155085/2022).

उक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हिरयाणा पंचकूला ने उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला द्वारा भिजवाये गये कथित प्रस्ताव Bharat Petroleum Corporation Ltd. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 में दिये प्रावधान के अनुसार अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.0544 है0 वन भूमि प्रभावित होगी। इस प्रस्ताव में 7 वृक्ष बाधक है जो कटवाये जायेगें। यह प्रस्ताव किसी भी प्रतिबंधित वन्य प्राणी क्षेत्र में नही आता है। इस प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्न प्रकार से जमा करवाई जायेगी।

कं0सं0	विवरण	राशि
1	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	43242
2	सुपरवाईजरी चार्जिज	8648
3	Felling charges	3444
4	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फोरेस्ट लैण्ड	66835
	Total	122169

उक्त प्रस्ताव की प्रतिपुर्ति पौधारोपण की राशि से RF Siwan Rect. No. पर 109 पौधे लगवाए जायेंगें। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। इस प्रस्ताव की संस्तुति उपरान्त सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा)

कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग। ८ Full Title of the Project: Diversion of 0.0544 ha of forest land for access to retail outlet of BPCL at Village Kawartan on Kaithal to Kawartan Road at RD Km. 10.930 RHS & Distt Kaithal Bearing Khasra No. 104//12, 11/2/2,, Under Forest Division and District Kaithal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/155085/2022

PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18. Recommendation of the State
Government (Adverse
comments made by any officer
or authority in Part-II or PartIII or Part-IV above should be
specifically commented upon)

Recommended for approval.

Date: 25-09-23

Place: Chandigarh

Signature 15 1/23

Name: Dr. T.P Singh,

Secretary to Govt. of Haryana, Forest & Wildlife Department

Office Seal: